न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

निर्वाचन अपील सं. 03/2020

अपीलांट्स–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
1. प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल 2. मांगीलाल पुत्र अखेराज 3. मैनादेवी पत्नी मांगीलाल जाति जैन निवासी बागावास ग्रा.पं. बागावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बालोतरा

निर्वाचन अपील विरूद्ध आदेश दिनांक शुन्य द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा जिसके तहत अपीलांट्स के नाम जोड़ने से मना करने का पारित किया गया।

उपस्थिति :–
श्री रमेश सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21/01/2020

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि आक्षेपकर्ता श्री कानाराम पुत्र श्री शिवाराम निवासी वार्ड सं. 05 ग्राम बागावास तहसील पचपदरा द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा के समक्ष प्ररूप–2 में आक्षेप प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल, मांगीलाल पुत्र अखेराज व मैना देवी पत्नी मांगीलाल का स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत बागावास की मतदाता सूची वार्ड सं. 06 में क्रम संख्या 160, 161 एवं 172 का नाम हटाया जावें। इस पर क्षेत्र के लिये नियुक्त प्रगणक द्वारा अपनी अभिशंषा एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा आक्षेप स्वीकार करते हुए अपीलांट्स के नाम मतदाता सूचि से विलोपित करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस आदेश से

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील संयुक्त रूप से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

3. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा अपीलांट्स का नाम मतदाता सूचि से पृथक कर अपीलांट्स को अपने मत का प्रयोग करने के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया हैं। अपीलांट्स ग्राम पंचायत बागावास के मूल निवासी हैं जो करीब 80 वर्षों से निवास करते आ रहे हैं तथा इस ग्राम पंचायत बागावास की मतदाता सूचि के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित नही हैं इस बात के समर्थन में अपीलांट मांगीलाल द्वारा नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया हैं। अपीलांट मांगीलाल हर बार पंचायत चुनाव में भाग लेता आ रहा हैं किंतु इस बार रेस्पोडेंट द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर षडयंत्रपूर्वक तरीके से बिना अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय कार्यवाही के द्वारा अपीलांट्स के नाम ग्राम पंचायत बागावास की मतदाता सूची के विलोपित कर दिये गये हैं। अपीलांट्स द्वारा पिछले विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन में ग्राम बागावास में ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया हैं तथा अपीलांट्स के रहवासीय मकान एवं कृषि भूमि ग्राम बागावास में आई हुई हैं। अधिनस्थ अधिकारी द्वारा राजनैतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध पारित किये गये हैं जो अपास्त योग्य हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त

जिला कलक्टर
बाड़मेर

फरमाये जावें एवं अपीलांट्स के नाम ग्राम पंचायत बागावास की मतदाता सूची मे यथावत रखे जाने का आदेश फरमावें।

4. हमने अपीलांट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा से प्राप्त मूल अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि आक्षेपकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रारूप–2 पर क्षेत्र के लिये नियुक्त प्रगणक की टिप्पणी प्राप्त की गई हैं एवं हल्का पटवारी बागावास एवं भू–अभिलेख निरीक्षक बागावास की संयुक्त फर्द मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा आक्षेप स्वीकार कर अपीलांट्स के नाम ग्राम पंचायत बागावास की मतदाता सूची वार्ड सं. 6 से विलोपित करने का आदेश पारित किया गया हैं। अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स का आक्षेप पर सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 14(1)(ख) में यह बाध्यकारी प्रावधान किया गया हैं कि – "(ख) किसी आक्षेप के मामले में आक्षेपकर्ता को तथा उस व्यक्ति को जिसका कि नाम शामिल किए जाने से वह आक्षेप संबंधित है, एक नोटिस तामील कराएगा–"। इस प्रकार अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा उक्त विधिक प्रावधान का पालन किया जाना नहीं पाया जाता हैं। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश किस तिथी को पारित किया गया हैं, का भी उल्लेख नहीं किया गया हैं, एवं अपीलांट्स के नाम नगर परिषद बालोतरा की मतदाता सूची में अंकित होने के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट का भली–भाँति अवलोकन नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन निश्चय के आधार के रूप में नगर परिषद बालोतरा क्षेत्र की मतदाता सूचि में अखेराज के परिवार मे जिन मतदाताओं के नाम सम्मिलित होना उल्लेखित किया गया हैं उनमे अपीलांट्स के नाम दर्ज नहीं हैं। इस प्रकार अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रथम तो अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने से प्रक्रियात्मक त्रुटि की है, जिससे अपीलार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की जानकारी के बिना उसका नाम मतदाता सूचि से हट गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नहीं करना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया हैं तथा इस आधार पर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। यद्यपि अपीलाधीन आदेश से प्रभावित मतदाता सूची ग्राम पंचायत बागावास, पंचायत समिति पाटौदी के अन्तर्गत आती हैं जिसके लिए आम चुनाव की लोक सूचना दिनांक 07.01.2020 को जारी की जा चुकी थी तथा लोक सूचना जारी किए जाने के उपरांत अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचि में इस अपील के द्वारा फेरबदल करने का कोई आदेश जारी किया जाना अनुमत नहीं है, किन्तु राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 09.01.2020 के द्वारा पंचायत समिति पाटोदी के चुनाव को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया हैं, लिहाजा इस अपील को गुणावगुण पर सुनवाई उपरांत निस्तारित किया जाना अनुमत हैं।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा ग्राम पंचायत बागावास के वार्ड सं. 6 की मतदाता सूची के क्रम संख्या 160 पर मांगीलाल, क्रम संख्या 161 पर मैना देवी एवं क्रम संख्या 172 पर दीपक कुमार के नाम विलोपित करने का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट्स एवं आक्षेपकर्ता को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते एवं साक्ष्य सबूत अभिलेख पर लेते हुए नये सिरे से नियमानुसार आक्षेपों का निस्तारण करने की कार्यवाही करें।

6. निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राज.)